[कार्य]ालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

[मुक़द]मा नं० 203 /2023 — तारीख रजू :- 20.10.2023

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

[केस]शल आई०डी० नम्बर 2023/[illegible]

उनवान

राहुल पुत्र कमलकिशोर जाति महाजन निवासी हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

—सायल

बनाम

नगर परिषद हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

—गैरसायलान 10

दिनांक	फर्द अहकाम
20.10.2023	आज यह प्रार्थना पत्र सायल की ओर से श्री नरेन्द्र सिंह जादौन एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील सायल को एकतरफा सुना गया। सायलान को बाउंड्रीवाल तारबंदी के कार्य नहीं रोकवाने हेतु गैरसयाल को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
	अतः गैरसायलान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1339 वाकेग्राम क्यारदा खुर्द तहसील हिण्डौन में आगामी तिथी तक प्रार्थीगण के नाम दर्ज खसरो के उनके स्वयं के हिस्से तक मौके की यथास्थिति बनाये रखें। तलबी गैरसायलान को रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं किये जाने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद रजिस्टर्ड तलवी पत्रावली दिनांक 17.11.2023 को पेश हों।
	(सुरेश कुमार हरसोलिया) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौल
17/11/23	वकुलाय उप[illegible] अधिकारी [illegible] कार्य में व्यस्त रहने है। तदानुसार दिनांक 18-3-24 को पेश हों।
18/3/24	पत्रावली पेश हुई। सायल व सायल वकील उप० नहीं। प्रकरण में बार-बार सायल व सायल वकील को आवाज [illegible] दिलवाने के बावजूद सायल व सायल वकील उप० नहीं। जिससे जाहिर होता है कि [illegible] वकील प्रकरण आगे चलाने के [illegible] नहीं है। अतः प्रकरण 203/23 T.I. राहुल बनाम नगरपरिषद हिण्डौन अदम पैरवी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] दाखिल [illegible] हो।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.06.28 11:22:36 IST
Reason: SelfAttested